

7

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
विधानसभा तारांकित क्रमांक 1797 के प्रश्नांश "क" की जानकारी

परिशिष्ट "अ"

इन्दौर शहर अंतर्गत बिलावली तालाब वर्ष 1908 के पूर्व से विद्यमान है। वर्ष 1950 के समय तालाब 337.428 हेक्टर में था जिसके खसरे नंबर के विवरण फतनखेड़ी में ग्राम एवं बिलावली ग्राम में निम्नानुसार है :-


फतनखेड़ी में ग्राम - सर्वे सं. (1) - 1/1, 1/2/1, 30/1/3, 30/1/4, 30/2/1, 35/1, 37/1, 39/1/9, 39/2/1, 39/2/3, 39/4, 39/4, 39/7, 39/8/1/1, 39/8/2, 41, (2) - 23.389, 0.024, 0.040, 1.096, 0.828, 0.328, 74.694, 6.111, 1.635, 0.486, 0.518, 4.626, 0.040, 1.615.


बिलावली ग्राम (3) - 138/5/मौज-2, व 138/141



आयुक्त

नगर पालिक निगम, इन्दौर


Executive Engineer
Urban Administration and Development
M. P. Bhopal



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आपात विभाग

8

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
विधानसभा तारांकित क्रमांक 1797 के प्रश्नांश "घ" की जानकारी

परिशिष्ट 2 'ब'

कलेक्टर, जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक 705/भू-अभि/2016 इन्दौर, दिनांक 01/03/2016 की प्राप्त जानकारी अनुसार विलावली तालाब/यशवंत सागर तालाब, सिरपुर, खजराना, तलावली चांदा तालाबों की पूर्व की भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-


अ. क्र.	तालाब का नाम	पूर्व में भूमि का विवरण	रिमार्क/वर्तमान भूमि का विवरण
1	विलावली तालाब	337.428 हेक्टेयर	यथावत
2	यशवंत सागर तालाब	1266.31 हेक्टेयर	यशवंत सागर तालाब की भूमि नवीन बाँध निर्माण के पूर्व 1118 हेक्टेयर थी। वर्तमान में 1468.31 हेक्टेयर अतिरिक्त निजी कृषि भूमि पर तालाब का पानी भरा जाता है, जिसका प्रतिवर्ष एकल फसल मुआवजा कृषकों को दिया जा रहा है। इस प्रकार यशवंत सागर तालाब की निगम भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है एवं तालाब के आसपास का अन्य क्षेत्र निगम सीमा में नहीं होने से निगम द्वारा किसी भी प्रकार के भवन निर्माण की अनुमति उक्त क्षेत्र में नहीं दी जाती है। तालाब की घाल के आसपास बहुमंजिला भवन निर्मित भी नहीं है।
3	सिरपुर तालाब	95.9974 हेक्टेयर	यथावत
4	खजराना तालाब	3.137 हेक्टेयर	यथावत
5	तलावली चांदा तालाब	13.638 हेक्टेयर	यथावत


तालाबों की घालों पर अतिक्रमण कर व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। तालाब की घाल के आसपास बहुमंजिला भवनों के निर्माण की अनुमति घाल से 60 मीटर से अधिक दूरी पर निर्धारित है।

जी हाँ। निर्धारित दूरी में हुए अवैध निर्माणों पर नगर निगम एवं प्रशासन द्वारा समय-2 पर कार्यवाही की जाकर अवैध निर्माण हटाये जाते हैं वर्षाकाल के पूर्व भी निगम एवं प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर तालाबों के आस-पास किये गये अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही की गई थी। उक्त कार्यवाही सतत एवं निरंतर प्रक्रिया के अंदर आती है ऐसी स्थिति में निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम, इन्दौर


Executive Engineer
Urban Administration and Development
M. P. Bhopal


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आपात विभाग